



2026:AHC:55595

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
आपराधिक अपील संख्या - 1696/2026

मनीष कुमार

.... प्रार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

.... विपक्षी(गण)

प्रार्थी(गण) के अधिवक्ता : अजय कुमार पाठक

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 50

माननीय न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव

1. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया। विद्वान ए.जी.ए. ने अवगत कराया कि सूचनाकर्ता/पीड़िता पर नोटिस तामील हो चुकी है।
2. यह आपराधिक अपील, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14-ए (2) के अंतर्गत, अपीलकर्ता द्वारा, विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी. (पी.ए.) अधिनियम, हाथरस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 169/2025, धारा 137(2), 87 बी.एन.एस. तथा धारा 3(2)(Va) एस.सी./एस.टी. अधिनियम, थाना सहपऊ, जनपद हाथरस में पारित आदेश दिनांक 24.12.2025 को, जिसके द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया है, निरस्त किए जाने हेतु योजित की गई है।
3. अभियोजन कथन के अनुसार, दिनांक 08.10.2025 को अभियुक्त-अपीलकर्ता द्वारा सूचनाकर्ता की लगभग 17 वर्ष आयु की पुत्री को विवाह करने के आशय से बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलकर्ता को वर्तमान प्रकरण में मिथ्या रूप से अभियुक्त बनाया गया है। यह भी निवेदन किया गया कि पीड़िता के कथनों के अवलोकन से स्पष्ट है कि वह सहमति से अपीलकर्ता के साथ गई थी। आगे यह भी निवेदन किया गया कि पीड़िता बालिग है तथा उसने स्वयं चिकित्सीय परीक्षण कराने से इंकार किया है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के पंजीकरण में बिना किसी समुचित कारण के विलम्ब हुआ है। यह भी निवेदन किया गया कि अपीलकर्ता दिनांक 29.10.2025 से जेल में निरुद्ध है तथा उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। साथ ही यह भी कहा गया कि एस.सी./एस.टी. अधिनियम के अंतर्गत अपराध गठित करने हेतु आवश्यक तत्व विद्यमान नहीं हैं।

5. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत प्रार्थना का विरोध किया, हालाँकि उपर्युक्त तथ्यों का प्रभावी खंडन नहीं कर सके।

6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया तथा अभिलेख, जिसमें आक्षेपित आदेश भी सम्मिलित है, का सूक्ष्म परीक्षण किया गया।

7. प्रकरण के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियाँ, अपराध की प्रकृति, उपलब्ध साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता तथा दण्ड की संभावित गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए, यह न्यायालय का विचार है कि अपीलकर्ता का मामला जमानत योग्य है।

8. तदनुसार, अपील स्वीकार की जाती है तथा अपीलकर्ता की जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने संबंधी आक्षेपित आदेश दिनांक 24.12.2025 को निरस्त किया जाता है।

9. अतः अपीलकर्ता मनीष कुमार, उपर्युक्त मुकदमा अपराध संख्या में संलिप्त, को एक निजी मुचलका एवं समान राशि के दो सक्षम जमानतदार प्रस्तुत करने पर, जो संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन हों, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। रिहाई आदेश निर्गत करने से पूर्व जमानतदारों का सत्यापन सुनिश्चित किया जाएगा—

(i) अपीलकर्ता विचारण के दौरान अभियोजन के साथ पूर्ण सहयोग करेगा।

(ii) अपीलकर्ता साक्ष्यों के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(iii) अपीलकर्ता अभियोजन पक्ष के साक्षियों को प्रभावित अथवा भयभीत नहीं करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



- (iv) अपीलकर्ता किसी भी प्रकार का अपराध कारित नहीं करेगा।
 - (v) अपीलकर्ता प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी ऐसे व्यक्ति को, जो प्रकरण के तथ्यों से परिचित हो, कोई प्रलोभन, धमकी या आश्वासन नहीं देगा, जिससे वह न्यायालय अथवा पुलिस अधिकारी के समक्ष सत्य तथ्यों का उद्घाटन करने से विरत हो जाए अथवा साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ हो।
 - (vi) अपीलकर्ता प्रत्येक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।
 - (vii) अपीलकर्ता उन तिथियों पर, जब साक्षी न्यायालय में उपस्थित हों, साक्ष्य हेतु अनावश्यक स्थगन की मांग नहीं करेगा।
 - (viii) अपीलकर्ता धारा 313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत कथन अंकित किए जाने हेतु नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।
10. उपर्युक्त शर्तों में से किसी का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में, अभियोजन को सक्षम न्यायालय के समक्ष जमानत निरस्तीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।
11. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियाँ केवल जमानत प्रार्थना के निर्णय तक सीमित हैं तथा प्रकरण के गुण-दोष पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालेंगी। विचारण न्यायालय इस आदेश में की गई किसी भी टिप्पणी से अप्रभावित रहते हुए स्वतंत्र रूप से निर्णय करेगा।

(माननीय न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव)

18 मार्च, 2026

रवींद्र के. सिंह